



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1941 (श0)
(सं0 पटना 538) पटना, मंगलवार, 9 अप्रील 2019

वाणिज्य-कर विभाग

शुद्धि-पत्र

9 अप्रील 2019

एस० ओ० 86, दिनांक 9 अप्रील 2019—वाणिज्य-कर विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 6/2019—राज्य कर (दर) दिनांक 29 मार्च, 2019 जिसे बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में क्रमांक 504, दिनांक 29 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में —

क्रम सं० 2. में, स्पष्टीकरण (vi) के स्थान पर—

“(vi) “फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (एफएसआई)” से अभिप्रायः किसी भवन के कुल फ्लोर क्षेत्रफल (सम्पूर्ण फ्लोर क्षेत्रफल) और उस भू-खण्ड के क्षेत्रफल के अनुपात से है जिसपर कि ऐसे भवन का निर्माण हुआ हो।

(vii) उपर्युक्त पैरा 1 के उपपैरा (i) और (ii) के अंतर्गत आनेवाली सेवाओं का भुगतान अधिसूचना संख्या 13/2017—राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या—556, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, के अनुसार तथा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के आधार पर करना होगा।” पढ़ें।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 1209)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

9 अप्रैल 2019

एस० ओ० 86, दिनांक 9 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 1209)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 9th April 2019

S.O. 86, Dated 9th April 2019— In the notification of the Commercial Taxes Department No. 6/2019-State Tax (Rate), dated the 29th March, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 504, dated the 29th March, 2019, -

in Sl. No. 2., for Explanation (vi), read-

- "(vi) the term "floor space index (FSI)" shall mean the ratio of a building's total floor area (gross floor area) to the size of the piece of land upon which it is built.
- (vii) Tax on services covered by sub-para (i) and (ii) of paragraph 1 above is required to be paid under reverse charge basis in accordance with notification No. 13/2017-State Tax (Rate), dated 29.06.2017 published in the Bihar Gazette vide No 556, dated 29.06.2017, as amended."

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-5) 1209)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 538-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>